



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल (मध्यप्रदेश)

निगरानी 1133-PBR-15

प्रकरण क्रमांक2014-15

1. श्रीमती शफीका पुत्री स्व. सईद खां
पत्नी श्री सलीम खां
निवासी ग्राम दोराहा, हाल निवासी : बागोनिया,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल
2. सकीना बी पुत्री स्व. सईद खां
पत्नी रफीक खां
निवासी : छोटा बाजार, सिफाय मोहल्ला,
दोहरा, तह. श्यामपुर, जिला सीहोर
3. श्रीमती राबिया बी पुत्री स्व. सईद खां
पत्नी श्री रफीक खां
निवासी : म.नं. 14 बी, विजयलक्ष्मी स्कूल
जिंसी चौराहा, जहांगीराबाद, भोपाल

विरुद्ध

1. शहजाद खां पुत्र स्व. सईद खां
 2. अनीस खां पुत्र स्व. सईद खां
 3. स्व. रफीक खां, पुत्र स्व. सईद खां
के वैद्य वारिस :-
 1. श्रीमती हसीना बी पत्नी स्व. रफीक खां
 2. शफीक खां पुत्र स्व. रफीक खां
 3. नईम खां पुत्र स्व. रफीक खां
 4. कयूम खां पुत्र स्व. रफीक खां
 5. सलमान खां पुत्र स्व. रफीक खां
 6. कुमारी जरीना बी पुत्री स्व. रफीक खां
 7. समीना बी पुत्री स्व. रफीक खां
- सभी निवासीगण : छोटा बाजार दोराहा
तह. श्यामपुर, जिला सीहोर
4. श्रीमती सलीका पत्नी मेहदी अली खां
निवासी ग्राम शाहपुरा मढ़िया
पोस्ट, सलामतपुर, जिला रायसेन

..... निगरानीकर्ता

श्री वीरेश्वर कोचर अधिकारी
कार्यालय 515715
हुजूर

8/5/15
प्रवाचक

न्यायालय आयुक्त
भोपाल संभाग, भोपाल

11.5.15 को

कै.एस.एस. 515
का

..... उत्तरदाता

निगरानी धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 57/अपील/9-10 में पारित आदेश दिनांक 31/03/2015 से व्यथित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष समय अवधि में प्रस्तुत की गई है।

15/5/15

रजि. नं. 1133-PBR-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश खालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रथम

प्रकरण क्रमांक R-1133/P132/15/अपात

श्री फौज/श्री देवादे (का)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18/01/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>श्री. प्र. म. म. म.</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी - <u>श्री. दे.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>S71/3/2017/09-10</u> में पारित आदेश दिनांक <u>21-3-15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - <u>श्री. दे.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/4/19</u> को कलेक्टर जिला - <u>श्री. दे.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p><u>[Signature]</u> सदस्य</p>